न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 09/2018

1. धर्म सिंह
2. बनैसिंह पुत्रान भुल्लन
3. अंगूरी
4. कान्ति
5. कल्याणी
6. मीरा पुत्रीयान भुल्लन समस्त जाति माली, निवासीयान काछीपुरा (सीलोती) तहसील मासलपुर जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. सीताराम पुत्र शिवचरण आयु 47 साल
2. जौहरी पुत्र लल्लू आयु 57 साल
3. श्रीमती ब्रहम्माबाई पत्नी सीताराम आयु 42 साल
4. शिवचरण पुत्र मिचुआ आयु 72 साल
5. प्रकाश पुत्र शिवचरण आयु 42 साल

रेस्पोटेंडान

एवं

अपील संख्या 10/2018

1. धर्म सिंह
2. बनैसिंह पुत्रान भुल्लन
3. अंगूरी
4. कान्ति
5. कल्याणी
6. मीरा पुत्रीयान भुल्लन समस्त जाति माली, निवासीयान काछीपुरा (सीलोती) तहसील मासलपुर जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

1. जौहरी पुत्र लल्लू
2. महेश पुत्र शंकर
3. सरस्वती बेवा शंकर जाति माली निवासी काछीपुरा (सीलोती) तहसील मासलपुर जिला करौली
4. विक्रम
5. छुट्टन, पिसरान शंकर नाबालिग वली संरक्षक माता सरस्वती बेवा शंकर जाति माली निवासी काछीपुरा (सीलोती)
6. पुष्पा
7. पिस्ता
8. रेशम

Scanned by CamScanner

9. रूपा पुत्रीयान शंकर नाबालिग जरिये वली संरक्षक माता सरस्वती बेवा शंकर माली निवासी काछीपुरा (सीलोती) तहसील मासलपुर जिला करौली।
10. रामस्वरूप
11. रामजीत
12. राजेन्द्र
13. मुकेश पिसरान शंकर जाति माली निवासीयान काछीपुरा (सीलोती) तहसील मासलपुर जिला करौली
14. तहसीलदार मासलपुर लैण्ड होल्डर तहसील मासलपुर जिला करौली

रेस्पोटेंडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली
मु0न0 63/2015 एवं मु0नं0 64/2015 निर्णय दिनांक 30.11.17)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की ओर से श्री विष्णु चन्द बंसल
2. रेस्पोडेंटान की ओर से श्री श्याम बाबू शर्मा

निर्णय दिनांक 31.01.2020

अपील सख्या 09/2018 व 10/2018 के समान पक्षकार एवं विषय विस्तु होने पर एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

अपील संख्या 9/18 के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान की ओर से प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम सीलोती तहसील मासलपुर में स्थित है जो सायल के कब्जे काश्त की आराजी है और इस रकबे के पूर्वी हिस्से में चाह बना हुआ है। इस चाह से आराजी खसरा नम्बर 324, 325 व 329 के 1/2 हिस्से की अपने पुत्र के खातेदारी में सिंचाई होती है। गैरसायलान का इससे कोई संबंध नहीं है। गैरसायलान ताकत एवं सजौर व्यक्ति है और ताकत के बल पर सायलान की खातेदारी में निर्मित चाह से अपनी खसरा नम्बर 329 के 1/2 हिस्से में जबरन सायल के कुआ पर इंजन रखने व सिंचाई करने पर उतारू है। दिनांक 05.11.2015 को गैरसायलान ने सायलान से कहा कि यातो राजीखुशी हम गैरसायलान को खसरा नम्बर 329 में सिंचाई करने दे बरना हम ताकत के बल पर सिंचाई करेगें। सायलान ने खूब समझाया किन्तु गैरसायलान नहीं माने यदि गैरसायलान इस अनाधिकार कार्यवाही में कामयाब हो गये है तो सायलान के हक हकूक पर बाहरी आघात एवं अपूर्णीय क्षति होगी और मुकदमे बाजी बडेगी। गैरसायलान को ताफैसला दावा तक पाबंद फरमाया जावे। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।'

Scanned by CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपील संख्या 9/18 के विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौराते हुए बताया कि आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम सीलोती तहसील मासलपुर में स्थित है जो अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी है और इस रकबे के पूर्वी हिस्से में चाह बना हुआ है। इस चाह से आराजी खसरा नम्बर 324, 325 व 329 के 1/2 हिस्से की अपने पुत्र के खातेदारी में सिंचाई होती है। रेस्पो0 का इससे कोई संबंध नहीं है। रेस्पो0 ताकत एवं सजौर व्यक्ति है और ताकत के बल पर अपीलांट की खातेदारी में निर्मित चाह से अपनी खसरा नम्बर 329 के 1/2 हिस्से में जबरन अपीलांट के कुआ पर इंजन रखने व सिंचाई करने पर उतारू है। दिनांक 05.11.2015 को रेस्पो0 ने अपीलांट से कहा कि यातो राजीखुशी हम रेस्पो0 को खसरा नम्बर 329 में सिंचाई करने दे बरना हम ताकत के बल पर सिंचाई करेगें। यही वाद कारण होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपीलांट के पिता की खातेदारी की आराजी ख0न0 326 मे स्थित कुए से पानी देने लेने हेतु उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया है। जो विधि विरूद्व है। अपीलांट के पिता द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2068–71 एवं नक्शा ट्रेस पेश किया है। जिसमे चाह अपीलांट के पिता व अपीलांट की तरमीम सन 2000 से हो रही है। जिसका रेस्पो0 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि चाह खसरानं0 326 मेंनहीं होकर 327 में होना बताया है जबकि स्वयं रेसपो0 नं0 2 ने रेस्पो0 नं0 1 के हक में दिनांक 08.10.15 को खसरा नं0 327 के 1/4 हिस्सा एवं खसरा नं0 329 के 1/2 हिस्से का बयनामा पंजीयन भूमि को विक्रय कर कराया है और उक्त बयनामा में रेस्पो0 न0 1 व 2 द्वारा चाह ख0न0 327 मे होना अंकित नही किया है। जिससे स्पष्ट है चाह ख0न0 327 मे नही होकर ख0न0 326 मे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख0न0 326 मे स्थित चाह से सिचाई करते रहने के आदेश विधि विरूद्व रूप से रिकार्ड के विपरीत पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 द्वारा चाह ख0न0 327 मे होना बताया है जबकि इस प्रकार का कोई दस्तावेज उनके द्वारा पेश नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यो की अनदेखी कर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 9/18 की बहस अपील मे रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा कि ख0न0 326 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा ग्राम सीलोती मे रेस्पो0 2 के पिता लल्लू की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। ख0न0 327 मे नये चाह का निर्माण अपीलांट

Scanned by CamScanner

व रेस्पो0 के पिता लल्लू व शंकर ने आधा आधा पैसा लगाकर सम्वत 2032 मे शामिल खुदवाया था। उसी समय से कुआ पर सिचाई हेतु इंजन रखकर करते आये है। इसी कुऐ अन्य ख0नम्बरान की सिचाई होती है। ख0न0 326 के अन्दर कोई कुआ नही है। ख0न0 327 मे कुआ निर्मित है। कुऐ पर अपीलांट व रेस्पो0 का आधा आधा हिस्सा है दोनो के इंजन रखे हुए है। विवादित आराजी दोनो भाईयो लल्लू व भूल्लन की खातेदारी की आराजी है। दोनो के मध्य मु0न0 130/91 जरिये राजीनामा डिग्री हुआ है। राजीनामा व डिग्री मे ख0न0 327 मे गैर मुमकिन चाह 1/2, 1/2 दोनो की खातेदारी मे रहेगा अभिलिखित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक दुसरे की जमीन की सिचाई समय समय पर होती रहे उभयपक्ष को पाबन्द किया है जो विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटी नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 10/18 के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ख0न0 327 रकबा 2 विस्वा चाही ग्राम सीलोती तहसील मासलपुर मे स्थित है। जो सायलान 1 ता 9 व गेरसायलान 1,6,7 की सुयक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि है। इस भूमि से लगती पुश्तैनी जमीन ख0न0 326,328,329,325 स्थित जो ख0न0 327 की बीच मेड मे सायलान व गैरसायलान नम्बर 1,6,7 ने अपना निजी पैसा लगाकर सम्वत 2032 मे नया कुआ का निर्माण कराया। जिसमे आधा आधा पैसा लगाया गया। मौके पर दो इंजन लगे हुए है। जिससे अपनी अपनी भूमि की सिचाई करते चले आ रहे है। गैर सायल न0 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है उसने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर ख0न0 327 की मेड मे बने कुए को ख0न0 326 के अन्दर नक्शे मे जीरो मार्क से अंकन करा लिया। सायलान से कहने लगा कि कुआ हमारा है और इंजन कों हटाओ तथा झगडा करने पर आमादा हो गया। सायलान को कुऐ से बेदखल करने पर आमादा हो गया। इस चाह को सायलान 1/2 की खातेदारी कराने का अधिकारी है। गैरसायलान सायलान को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को विवादित कुऐ के संबंध मे वाद के निस्तारण तक पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपील संख्या 10/18 के विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्ध है जो निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 30.11.17 अधिनस्थ

Scanned by CamScanner

न्यायालय पूर्णतया आवीट्रेरी है। परिवरिश रेस्पोडेन्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के विपरीत मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध रूप से पारित किया है। रेस्पो0 नं0 1 ता 9 ने अपीलांट गैरसायलान के विरूद्ध खसरा नं0 327 रकबा 2 बिस्वा ग्राम सीलाती में चाह मानते अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से चाह से सिंचाई करने में व्यवधान नहीं करने को प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया था जिसका जवाब अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गयाथा कि खसरा नं0 327 में कोई चाह नहीं है बल्कि चाह खसरा नम्बर 326 में अपीलांटस के पिता ने सन 2000 में निर्माण किया है और उक्त चाह से अपीलांटस गैरसायलान की भूमि की सिंचाई करने हेतु इंजन लगा रखा है दिनांक 25.11.15 से पूर्व रेस्पो0 नं0 1ता0 9 का कोई इंजन खसरा नं0 326 में स्थित चाह पर नहीं रखा हुआ था और रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता9 द्वारा जबरन ताकत के बल पर दिनांक 25.11.2015 को खसरा नं0 326 में स्थित चाह पर अतिचार कर कर जबरन ताकत के बल पर इंजन रख दिया जिसकी अपीलन्ट नं0 2 ने पुलिस थाना मासलपुर में मुकदमा नं0 260/15 दर्ज कराया था और प्रार्थनापत्र रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 9 खारिज किये जाने का निवेदन किया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय रिकार्ड के विपरीत किया है। अपीलांट के पिता ने रेस्पो0 न0 1 के विरूद्व एवं सीताराम पुत्र शिवचरण ,ब्रहम्माबाई पत्नि सीताराम व शिवचरण पुत्र मिचुआ व प्रकाश पुत्र शिवचरण के विरूद्व ख0न0 326 मे अपीलांट के पिता द्वारा निर्मित चाह व अपीलांट के पिता के खातेदारी भूमि ख0न0 326 मे कब्जे काश्त मे बाधा नही करने एवं ख0न0 326 मे स्थित चाह से रेस्पो0 न0 1 व जौहरी वगै0 द्वारा ख0न0 329 जो रेस्पो0 की खातेदारी की 1/2 हिस्से की है की सिचाई नही करने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपींलाट के पिता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2068–71 व नक्शा ट्रेस ख0न0 326 प्रस्तुत किया गया है। जिसमे चाह अपीलांट के पिता व अपीलांट की तरमीम सन 2000 से ही हो रही है। जिसका रेस्पो0 ने जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि चाह ख0न0 326 मे नही होकर 327 मे होना बताया है। जबकि दिनांक 8.10.15 को हुए बयनाम मे ख0न0 327 मे चाह नही होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि चांह ख0न0 327 मे न होकर 326 मे है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को पाबन्द नही कर ख0न0 326 के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखे जाने के आदेश पारित किये है। जो विधि विरूद्व है। अपीलांट ख0न0 326 के तन्हा खातेदार है यह स्वीकृत तथ्य होनें के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अतःअपींलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 10/18 मे रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि ख0न0 327 रकबा 2 विस्वा चाही ग्राम सीलोती तहसील मासलपुर मे स्थित है। जो रेस्पो0 1 ता 9 व गेरसायलान 1,6,7 की सुयक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि है। इस भूमि से

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर
Scanned by CamScanner

लगती पुश्तैनी जमीन ख0न0 326,328,329,325 स्थित जो ख0न0 327 की बीच मेड मे रेस्पो0 व अपीलांटान नम्बर 1,6,7 ने अपना निजी पैसा लगाकर सम्वत 2032 मे नया कुआ का निर्माण कराया। जिसमे आधा आधा पैसा लगाया गया। मौके पर दो इंजन लगे हुए है। जिससे अपनी अपनी भूमि की सिंचाई करते चले आ रहे है। अपीलांट न0 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है उसने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर ख0न0 327 की मेड मे बने कुए को ख0न0 326 के अन्दर नक्शे मे जीरो मार्क से अंकन करा लिया। विवादित आराजी दोनो भाईयो लल्लू व भूल्लन की खातेदारी की आराजी है। दोनो के मध्य मु0न0 130/91 जरिये राजीनामा डिग्री हुआ है। राजीनामा व डिग्री मे ख0न0 327 मे गैर मुमकिन चाह 1/2, 1/2 दोनो की खातेदारी मे रहेगा अभिलिखित है। अपीलांट इस आराजी मे स्थित चाह को 1/2 हिस्से का खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है दोनो पक्षो के हितो को ध्यान मे रखकर ही पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उक्त दोनो अपीलो पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी 2068–71 ख0न0 327 रकबा 0.02 है0 मे 0.01 है0 पर जाब व 0.01 है0 चाही प्रथम दर्ज रिकार्ड है। जो लल्लू, भुल्लन पिसरान धुन्धी काछी सा0देह हिस्सा बरावर दर्ज है। जिसमे वारिसान के नामा0 का नोट भी लगा हुआ है। ख0न0 327 मे चाह रिकार्ड मे दर्ज है परन्तु वास्तव मे चाह ख0न0 327 मे बना हुआ है या नही यह वाद मे तय किया जावेगा। प्रस्तुत नक्शा ट्रेस मे दर्शित गोल बिन्दु यह स्पष्ट है कि ख0न0 326 मे कुआ बना हुआ है जिसके उपयोग उपभोग बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। चूकिः वर्तमान समय मे फसल लगभग तैयार है जिसमे पानी की सघन आवश्यकता होती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह दोनो पक्षो के हितो को ध्यान मे रखकर ही किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली का मु0न0 63/15 व 64/15 निर्णय दिनांक 30.11.17 को यथावत रखे जाते है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.20

(बी. एल. रमण)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 15:10:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: